न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./5095/2006/नागौर

1– शंकरलाल पुत्र श्री सांवताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भडाणा तहसील एवं जिला नागौर

–अपीलार्थी

बनाम

1– परसराम पुत्र श्री सांवताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भडाणा तहसील एवं जिला नागौर
2– खींयाराम पुत्र रामदेव जाति मेघवाल निवासी ग्राम भडाणा तहसील एवं जिला नागौर
3– सीताराम पुत्र रामदेव जाति मेघवाल निवासी ग्राम भडाणा तहसील एवं जिला नागौर
4– सरकार जरिये तहसीलदार नागौर
5– मु0 सायरी बैवा सांवतराम जाति मेघवाल निवासी भडाणा तहसील एवं जिला नागौर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ. गिरीश पाराशर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री भीयाराम चौधरी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री ओ.एल दवे, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 03–03–2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–147/2005 बउनवानी शंकरलाल बनाम परसराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी और रैस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 ने सहायक कलक्टर, नागौर के न्यायालय में रैस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भडाणा तहसील एवं जिला नागौर स्थित आराजी नम्बर 234 एवं 466 वादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 सांवतराम एवं वादी संख्या 3 व 4 के पिता रामदेव एवं अमराराम तीनों सगे भाई थे एवं मोडराम के पुत्र थे। अमराराम संयुक्त परिवार में सबसे बडा होने के कारण अपने बट में खसरा नंबर 234 एवं 466 की भूमि रखी एवं अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली किन्तु विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है और पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादी ने वाद पेश कर वाद की प्रार्थना के अनुसार वाद डिक्री करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाली जवाबदावा पेश किया एवं राज्य सरकार ने जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–01–2004 के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी और कुरेजात रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06. 2004 को पारित की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–06–2006 के द्वारा मियाद बाहर होना मानकर खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ति करते हुए बहस किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा इकबाली जवाबदावे के आधार पर दावा डिक्री कर दिया जबकि उक्त इकबाली दावा जवाबदावा विड्रो करने के लिए आवेदन किया था और आदेश 6 नियम 17 का भी प्रार्थनापत्र पेश किया था जो दोनों ही प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए और उस डिक्री के विरूद्ध की गई अपील भी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर दी जबकि गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए था। नियम 18 से 21 की पालना भी नही की गई है, इसलिए आदेश अपास्त किया जावे।

5– विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपील सही खारिज की गई है। पक्षकार की मौजूदगी में विचारण न्यायालय में निर्णय हुआ था उसके बावजूद भी अपील पेश की है जिसका कोई समूचित कारण भी नहीं है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जाने योग्य है।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता है और क्या आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है ?

8– प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी शंकरलाल व अन्य ने बटवारा एवं घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें प्रतिवादी ने इकबाली जवाब दावा पेश किया और उसके आधार पर दिनांक 21.01.2004 को प्रारंभिक डिक्री पारित की गई और उसके बाद कुरेजात रिपोर्ट मंगाये जाने के पश्चात् दिनांक 26.06.2004 को अंतिम डिक्री पारित की गई। अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र एक अपील ही पेश की गई है अर्थात् जब अंतिम डिक्री हो गई तो प्रारंभिक डिक्री की अपील अलग से पेश नहीं की गई है। अतः उक्त अपील अंतिम डिक्री की ही मानी जाएगी।

9– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है लेकिन अपीलार्थी शंकरलाल ने अपील के साथ धारा 5 प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वकील साहब ने कहा है कि मामला चल रहा है और निर्णय की जानकारी दिनांक 07.11.2005 को होने पर नकल प्राप्त कर प्रार्थनापत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है। इसके साथ शपथपत्र पेश किया है और इस तथ्य का कोई खंडन भी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा निर्णय व डिक्री की जानकारी होने का जो तथ्य बताया है कारण उचित है और पर्याप्त है और इस तथ्य का खंडन भी रैस्पोडेन्ट की ओर से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को धारा 5 का प्रार्थनापत्र स्वीकार करके गुणावगुण पर ही विचार किया जाना चाहिए था, तकनीकी आधार पर निर्णय करने की बजाय गुणावगुण पर ही निर्णय किया जाना उचित है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर पारित किया गया निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

10– पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रारंभिक डिक्री दिनांक 21.01.2004 को पारित की गई है और उसके पश्चात् कुरेजात रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 26.06.2004 को अंतिम डिक्री पारित की गई है, लेकिन कुरेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 21 के अनुसार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक है। नियम 21 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार प्रत्येक पार्टी को आवंटित किए गए प्लॉटों को अलग रंग में दिखाते हुए नक्शा बनाएगा और उसे रिकार्ड में रखेगा और यदि किसी खेत का उपविभाजन किया गया है तो वह पार्टी के खर्चे पर भागों का सीमांकन करेगा, जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त कुरेजात रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है। इसे तहसीलदार के राजस्व

पत्र दिनांक 01.06.2004 में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि महोदय जी विषयान्तर्गत वाद के प्राथमिक निर्णय की पालनार्थ पटवारी हल्का से भौतिक विभाजन करवाकर पालना रिपोर्ट संलग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रषित है और इस रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि तहसीलदार के इसपर काउंटर हस्ताक्षर है अर्थात् नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई है और इस आधार पर यह निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंतिम डिक्री का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई अंतिम डिक्री दिनांक 26.06. 2004 को अपास्त किया जाता है।

11– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या–147/2005 बउनवानी शंकरलाल बनाम परसराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–2006 एवं सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 40/1999 बउनवानी शंकरलाल बनाम सायरी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–06–2004 को अपास्त किया जाता है। और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पुनः भौतिक विभाजन कुरेजात रिपोर्ट मंगाकर विधिनुसार दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय पारित करें। दोनों पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.04.2023 को हाजिर हो। प्रकरण पुराना है अतः शीघ्र निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य